



बिहार पशु चिकित्सा संघ

कार्यालय - विद्यापति मार्ग, पटना-800001

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता

प्रधान महासचिव

मो० 7488601083



e-Mail : bvapatna@gmail.com

पत्रांक- 54

दिनांक- 11.06.2020

सेवा में,

माननीय मंत्री महोदय,

भवन निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

विषय:-बिहार पशुचिकित्सा परिषद् कार्यालय को आवंटित भूमि पर स्थित पशुपालन आवासीय भवन का स्वत्वबोधक पत्र हेतु अनुशंसा करने के संबंध में।

महाशय,

विनम्र निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार पशुचिकित्सा परिषद् का प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश द्वारा परिषद् को भूमि उपलब्ध कराया गया है, जिसका कुल रकवा एक एकड़ सोलह डिसिमिल है। यह भूमि हवाई अड्डा के पश्चिमी गेट से उत्तर एवं सड़क से पश्चिम स्थित है।

ज्ञातव्य हो कि भवन निर्माण विभाग, पटना से परिषद् कार्यालय के नये भवन एवं अतिथिगृह निर्माण हेतु प्राप्त तकनीकी अनुमोदन प्रदत्त प्राक्कलन प्राप्त हो गया है, जिसे प्रशासी विभाग (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) को भेजा जा चुका है।

परिषद् के बढ़ते कार्य - कलापों यथा सामान्य उद्देश्य, Continuing Veterinary Education के तहत राज्य के पशुचिकित्सकों के ज्ञानसंवर्द्धन एवं आधुनीकीकरण, की पूर्ति तो होगी ही, विभागीय कार्यों से राज्य में आने वाले विशिष्ट अतिथियों, वैज्ञानिकों, किसानों के आवासन और भिन्न-भिन्न प्रकृति तथा स्तर के प्रशिक्षण, सेमिनार वर्कशॉप के कार्यों के सम्पादन भी हो सकेगा, जिसका पशुपालन विभाग में अभाव है। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् के चुनाव के बाद बिहार पशुचिकित्सा परिषद् में चुनाव की प्रक्रिया अपनायी जायेगी; फलस्वरूप सात अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी।

विदित हो कि वर्तमान में बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड, ऑफिसर्स फ्लैट संख्या-के०-६, कार्यालय प्रमंडलीय प्रबंधक, बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड, पटना प्रमंडल, पटना, ऑफिसर्स फ्लैट संख्या-के०-४, निगरानी विभाग (अन्वेषण व्यूरो), पटना प्रक्षेत्रीय कार्यालय, ऑफिसर्स फ्लैट संख्या-५१/८४, बिहार राज्य खाद्य आयोग, ऑफिसर्स फ्लैट संख्या-१९-२०/८४, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, गुणवत्त एवं मॉनिटरिंग कोषांग, ऑफिसर्स फ्लैट संख्या-२३-२४/८४, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार सरकार (समाज कल्याण विभाग), ऑफिसर्स फ्लैट संख्या-३४/८४, पुलिस महानिदेशालय-सह-असैनिक सुरक्षा आयुक्त, नागरिकता सुरक्षा निदेशालय (आपदा प्रबंधन विभाग), ऑफिसर्स फ्लैट संख्या-५९-६०/८४, बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड, ऑफिसर्स फ्लैट संख्या-५६/८४, मुख्य अभियंता (यांत्रिक) कार्यालय, जल संसाधन विभाग, ऑफिसर्स फ्लैट संख्या-६७/८४, न्यू पूनाइचक, पटना-२३ आदि आवासीय भवन से संचालन किया जा रहा है। ठीक उसी तरह बिहार पशुचिकित्सा परिषद् का कार्यालय अस्थायी रूप से बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय के परिसर में स्थित पशुपालन के आवासीय भवन में चल रहा है, जो परिषद् के बढ़ते क्रिया-कलाप के मद्देनजर पर्याप्त नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उल्लेखित भूमि पर आवासीय भवन का उपयोग परिषद् के बढ़ते क्रिया-कलाप के क्रम में अनुमति देने की कृपा की जाय तथा इसके लिए स्वत्वबोधक (आधिपत्य) / धारणाधिकार पत्र निर्गत करने हेतु प्रशासी विभाग को अनुशंसा करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक १-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(डा० विनोद कुमार मुक्ता)
प्रधान महासचिव

ज्ञापांक ५४ / बिप०चि०संघ

पटना, दिनांक ११ जून, 2020

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

BR-11/20

(डा० विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव

बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद चौधरी,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

✓ रजिस्ट्रार,

बिहार पशु चिकित्सा परिषद, पटना।

पटना, दिनांक 20.1.16

विषय:- परिषद कार्यालय के नये भवन एवं अतिथिगृह निर्माण के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-07/बि० पी० सी० दिनांक-09.01.2014

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक योजना हेतु कार्यापालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कुर्सी क्षेत्रफल आधारित प्राक्कलन का गठन कर दिया गया है। जो निम्नवत है-

- (1) Council office Building:- G+1 ₹ 500.0 lacs
- (2) Guest House Building:- G+1 ₹ 211.0 lacs

Total ₹ 711.00 lacs

गठित प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा ₹ 711.00 लाख (सात करोड़ ग्यारह लाख) रुपये मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

निदेशानुसार तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन तथा नक्शों को भेजते हुए अनुरोध है कि प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निधि के साथ इस कार्यालय को भेजने की कृपा की जाय।

अनु० -यथोक्त

विश्वासभाजन,

(ई० राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।